



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18322 वर्ष 2025

मोहम्मद इमरान

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कपिल कुमार पाण्डेय, वीरेंद्र सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री वीरेंद्र सिंह तथा श्री कपिल कुमार पाण्डेय, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं श्री अवधेश कुमार शुक्ला, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. श्री अवधेश कुमार शुक्ला, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि वे निर्देशों से पूर्णतः सुसज्जित हैं तथा प्रकरण पर बहस करने की स्थिति में हैं। वे कोई प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं तथा यह भी प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय प्रवेश स्तर पर ही किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि उनका चयन वर्ष 2017 में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आशुलिपिक के पद पर हुआ तथा उन्होंने 15.08.2017 को कार्यभार ग्रहण किया और 20.06.2020 को उनकी पुष्टि हुई। 15.06.2025 को एक आदेश पारित हुआ, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जनपद अलीगढ़ से जनपद बिजनौर किया गया। 24.07.2025 को कलेक्टर, अलीगढ़ द्वारा याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त किया गया। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता ने उप-जिलाधिकारी, चांदपुर के कार्यालय में आशुलिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया तथा जिलाधिकारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के दिनांक 06.10.2025 के आदेश के अनुपालन में प्रभारी अधिकारी, कलेक्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता को नगीना स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया गया। तथापि, उन्हें ई.आर.के. पटल, कलेक्ट्रेट, बिजनौर से संबद्ध कर दिया गया।

5. संबद्धता आदेश को प्रश्नगत करते हुए, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. इस न्यायालय द्वारा 04.12.2025 को रिट याचिका स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी से निर्देश मांगे गए।

7. आज, दिनांक 15.12.2025 के निर्देश, जिलाधिकारी, बिजनौर के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किए गए हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित आदेश केवल इस कारण से स्थिर नहीं रह सकता कि याचिकाकर्ता न तो स्थानांतरण आदेश के कूटरचन में संलिप्त थे और न ही उन्होंने किसी प्रकार की भूमिका निभाई। यह भी निवेदन किया गया कि यद्यपि याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी मुकदमा अपराध संख्या 0821 वर्ष 2025, धारा 318(4), 336(2), 336(3), 338, 344, 240(2) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत पंजीकृत की गई, तथापि याचिकाकर्ता को आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 22453 वर्ष 2025 में दिनांक 12.12.2025 को अंतरिम आदेश प्राप्त हुआ। आगे यह भी निवेदन किया गया कि एक प्रति-शपथ पत्र, जो कि प्रकरण की जांच उपरांत प्रमोद कुमार, जो स्वयं को निरीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस, आजमगढ़ बताते हैं, द्वारा दाखिल किया गया, उसमें कूटरचित दस्तावेज के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत का खंडन किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि जो भी हो, आदेश स्वभाव से दंडात्मक है तथा इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **पी.के. चिन्नासामी बनाम तमिलनाडु राज्य, (1987) 4 एस सी सी 601** पर भरोसा किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता जिस पदस्थिति का उपभोग कर रहा है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए तथा उसी के अनुरूप पदस्थापन एवं कार्य आवंटन किया जाना चाहिए।

8. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि जो भी हो, प्रत्यर्थियों द्वारा तथ्य अन्वेषण जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि याचिकाकर्ता अन्य के साथ कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने में संलिप्त थे। तथापि, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित दावा, विशेष परिस्थितियों में, सचिव, राजस्व, सचिवालय, लखनऊ द्वारा विचारित किया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. बार के समक्ष प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. तथ्य विवादित नहीं हैं। याचिकाकर्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि उन्हें उप-जिलाधिकारी, चांदपुर के कार्यालय से उप-जिलाधिकारी, नगीना के कार्यालय में आशुलिपिक के पद से स्थानांतरित किया गया, किन्तु उन्हें आयुक्तालय, बिजनौर के ई.आर.के. पटल पर कार्य करने का निर्देश दिया गया तथा पदस्थापन के उपरांत उन्हें जो कार्य सौंपा गया, वह उनकी पदस्थिति के अनुरूप नहीं है। पी.के. चिन्नासामी (उपयुक्त) में निम्नलिखित अवलोकन किया गया :-

“4. हमारे जैसे लोकतांत्रिक शासन तंत्र में, प्रशासन के संचालन के लिए नौकरशाही धुरी के रूप में कार्य करती है। जहाँ तक राज्य का संबंध है, नीतिगत विषयों तथा प्रशासन के संचालन की अंतिम जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से सर्वोच्च निकाय-मंत्रिपरिषद् तथा कार्यपालिका प्रमुख-राज्यपाल पर होती है। यह दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक लोक अधिकारी एक न्यासी होता है और जिस पद को वह धारण करता है तथा जो वेतन एवं अन्य लाभ वह प्राप्त करता है, उसके संबंध में वह राज्य को समुचित सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य है। इस व्यवस्था का अभिप्राय है कि प्रत्येक लोक अधिकारी को उसकी पदस्थिति के अनुरूप कोई न कोई पदस्थापन दिया जाए तथा ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित की जाएँ कि वह इस प्रकार कार्य करे जिससे राज्य से प्राप्त लाभों के बदले समुचित सेवा प्रदान कर सके। यदि कोई अधिकारी विधि के अनुसार अपेक्षित आचरण नहीं करता है तो वह निस्संदेह विधि के अनुसार दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी है, किन्तु सामान्यतः यह उपयुक्त नहीं होगा कि किसी अधिकारी को किसी पद के विरुद्ध बनाए रखा जाए, उसे कोई कार्य न दिया जाए और फिर भी उसे समेकित निधि से वेतन दिया जाता रहे। इसी दृष्टिकोण से हमने प्रत्यर्थी-राज्य सरकार को अपीलकर्ता को समुचित पदस्थापन देने तथा उससे कार्य लेने के लिए निर्देशित किया था। चूँकि राज्य सरकार ने आवश्यक कार्यवाही नहीं की है, अतः न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है। सामान्यतः इस प्रकार के प्रकरण में न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होती।”

11. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है, इस निर्देश के साथ कि याचिकाकर्ता स्वप्रमाणित प्रति रिट याचिका एवं आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक समग्र अभ्यावेदन सचिव, राजस्व, सचिवालय, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करे, जो तत्पश्चात् दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेंगे। इस हेतु याचिकाकर्ता दिनांक 31.01.2026 तक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेगा।

12. प्रति-शपथ पत्र, आदेश तथा निर्देश अभिलेख पर लिए जाते हैं तथा उन्हें परिशिष्ट 'ए', 'बी' एवं 'सी' के रूप में अंकित किया जाता है।

16 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।